संख्या- 111/2023/1437/छप्पन-2023-31/2016(स्टेज-2)

प्रेषक,

आनन्द कौशिक,
अनु सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

निदेशक,
नागरिक उड्डयन,
उ0प्र0, लखनऊ।

नागरिक उड्डयन अनुभाग लखनऊ: दिनांक: 20 अक्टूबर, 2023

विषय: जनपद गौतमबुद्धनगर में निर्माणाधीन नॉएडा इन्टरनेशनल एयरपोर्ट, जेवर के विस्तारीकरण (स्टेज-2/फेज-1) के लिए अर्जन हेतु अधिसूचित कुल 1181.2793 हैक्टेयर भूमि के सापेक्ष अधिनिर्णीत क्षेत्रफल 1179.6853 है0 भूमि के लिए अवशेष वांछित धनराशि की स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्रांक 185/ए0एफ0-2023-116/2016 दिनांक 05 अक्टूबर, 2023 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा जनपद गौतमबुद्धनगर में निर्माणाधीन नॉएडा इन्टरनेशनल एयरपोर्ट, जेवर के विस्तारीकरण (स्टेज-2/फेज-1) के लिए अर्जन हेतु अधिसूचित कुल 1181.2793 हैक्टेयर भूमि के सापेक्ष अधिनिर्णीत क्षेत्रफल 1179.6853 है0 भूमि के लिए अवशेष वांछित धनराशि रू0 8,79,77,51,734.00 (रू0 आठ अरब उनासी करोड़ सतहत्तर लाख इक्यावन हजार सात सौ चौंतीस मात्र) में से NIAL में उत्तर प्रदेश सरकार की अंशधारिता 37.50 प्रतिशत के अनुसार रू0 3,29,91,56,900.00 (रूपए तीन अरब उन्तीस करोड़ इक्यानवे लाख छप्पन हजार नौ सौ मात्र) की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति कलैक्टर, गौतमबुद्धनगर के निवर्तन हेतु प्रदान करने का प्रस्ताव उपलब्ध कराया गया है।

2- नॉएडा इन्टरनेशनल एयरपोर्ट, जेवर के विस्तारीकरण (स्टेज-2/फेज-1) के लिए अर्जन हेतु अधिसूचित कुल 1181.2793 हैक्टेयर भूमि के सापेक्ष अधिनिर्णीत क्षेत्रफल 1179.6853 है0 भूमि के लिए अवशेष वांछित धनराशि रू0 8,79,77,51,734.00 (रू0 आठ अरब उन्यासी करोड़ सतहत्तर लाख इक्यावन हजार सात सौ चौंतीस मात्र) के अन्तर्गत बाज़ार मूल्य पर 12 प्रतिशत संगणित रकम में हुई वृद्धि रू0 97,38,22,690.00, अधिसूचित/ अर्जित भूमि पर अवस्थित परसम्पतियों की मूल्यांकित धनराशि रू0 7,81,72,73,506.00 एवं सम्बन्धित ग्रामों के लगान का 150 गुना पूँजीकृत मूल्य रू0 66,55,538.00 सम्मिलित है।

3- नॉएडा इन्टरनेशनल एयरपोर्ट, जेवर के (स्टेज-2/फेज-1) के लिए अनुमानित धनराशि रू0 39,13,41,29,417.98 के सापेक्ष NIAL में उत्तर प्रदेश सरकार की अंशधारिता 37.50 प्रतिशत के अनुसार शासनादेश संख्या-52/2021/724/छप्पन-2021-31/2016 (Stage-2) दिनांक 27 मार्च, 2021 द्वारा रू0 1084.00 करोड़ (रूपए एक हजार चौरासी करोड़ मात्र) एवं शासनादेश संख्या-90/2022/1902/छप्पन-002-56-1099-8-2021 दिनांक 12 दिसम्बर, 2022 द्वारा अवशेष धनराशि रू0 3,83,52,98,532.00 (रूपए तीन अरब तिरासी करोड़ बावन लाख अट्ठानवे हजार पाँच सौ बत्तीस मात्र) अर्थात् कुल धनराशि रू0 14,67,52,98,532.00 (रूपए चौदह अरब सरसठ करोड़ बावन लाख अठ्ठान्नवे हजार पॉच सौ बत्तीस मात्र) अवमुक्त की गई है।

2/...

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

4- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि जनपद गौतमबुद्धनगर में निर्माणाधीन नॉएडा इन्टरनेशनल एयरपोर्ट, जेवर के विस्तारीकरण (स्टेज-2/फेज-1) के लिए अर्जन हेतु अधिसूचित कुल 1181.2793 हैक्टेयर भूमि के सापेक्ष अधिनिर्णीत क्षेत्रफल 1179.6853 हैक्टेयर भूमि के लिए अवशेष वांछित धनराशि रू0 8,79,77,51,734.00 (रू0 आठ अरब उन्यासी करोड़ सतहत्तर लाख इक्यावन हजार सात सौ चौंतीस मात्र) में से NIAL में उत्तर प्रदेश सरकार की अंशधारिता 37.50 प्रतिशत के अनुसार रू0 3,29,91,56,900.00 (रूपए तीन अरब उनतीस करोड़ इक्यान्नवे लाख छप्पन हजार नौ सौ मात्र) पर प्रशासकीय एवं वित्तीय अनुमोदन प्रदान करते हुए, उक्त धनराशि के सापेक्ष सम्पूर्ण धनराशि अर्थात् रू0 3,29,91,56,900.00 (रूपए तीन अरब उनतीस करोड़ इक्यान्नवे लाख छप्पन हजार नौ सौ मात्र) वित्तीय वर्ष 2023-24 में व्यय की अनुमति सहित कलैक्टर, गौतमबुद्धनगर के निवर्तन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन प्रदान करती हैं:-

(1) निदेशक, नागरिक उड्डयन द्वारा प्रस्तावित धनराशि को आहरित कर किसी बैंक खाते में नहीं रखा जायेगा। अवमुक्त धनराशि का आहरण एवं व्यय आवश्यकतानुसार एवं नियमानुसार किया जायेगा।

(2) निदेशक, नागरिक उड्डयन यह सुनिश्चित करेंगे कि प्रायोजना का सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात् ही कार्य कराया जाएगा। कार्य की गुणवत्ता, मानक एवं विशिष्टियों की जिम्मेदारी निदेशक, नागरिक उड्डयन की होगी।

(3) बजट प्रावधान के सापेक्ष धनराशि की उपलब्धता का दायित्व निदेशक, नागरिक उड्डयन का होगा।

(4) निदेशक, नागरिक उड्डयन यह सुनिश्चित करेंगे कि प्रश्नगत कार्य किसी अन्य कार्ययोजना में सम्मिलित नहीं है तथा इस हेतु पूर्व में किसी अन्य योजना/स्रोत से धनराशि स्वीकृति नहीं की गई है।

(5) निदेशक, नागरिक उड्डयन द्वारा यह सुनिश्चित किया जाएगा कि प्रश्नगत वित्तीय स्वीकृति जिस कार्य/मद हेतु की जा रही है, उसका उपयोग नियमानुसार उसी कार्य/मद हेतु किया जाएगा।

(6) निदेशक, नागरिक उड्डयन यह सुनिश्चित करेंगे कि प्रस्तावित कार्यों की द्विरावृत्ति नहीं हो रही है।

(7) निदेशक, नागरिक उड्डयन द्वारा वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप दिनांक 17 मार्च, 2023 में उल्लिखित दिशा-निर्देशों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा।

(8) अवमुक्त की गई धनराशि से सम्बन्धित व्यय का विवरण कलैक्टर, गौतमबुद्धनगर द्वारा निदेशक, नागरिक उड्डयन, उ0प्र0, लखनऊ के माध्यम से शासन को यथासमय उपलब्ध कराया जाएगा।

(9) निदेशक, नागरिक उड्डयन द्वारा यह सुनिश्चित किया जाएगा कि जनपद गौतमबुद्धनगर में निर्माणाधीन नॉएडा इन्टरनेशनल एयरपोर्ट, जेवर के विस्तारीकरण (स्टेज-2/फेज-1) के लिए अर्जन हेतु अधिसूचित कुल 1181.2793 हैक्टेयर भूमि के सापेक्ष अधिनिर्णीत क्षेत्रफल

3/...

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

1179.6853 हैक्टेयर भूमि के लिए अवशेष वांछित धनराशि रू0 8,79,77,51,734.00 (रू0 आठ अरब उनासी करोड़ सतहत्तर लाख इक्यावन हजार सात सौ चौंतीस मात्र) में से NIAL के शेष अंशधारकों यथा- नॉएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण/ग्रेटर नॉएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण/यमुना एक्सप्रेस-वे औद्योगिक विकास प्राधिकरण द्वारा भी अपनी-अपनी अंशधारिता के अनुसार धनराशि कलैक्टर, गौतमबुद्धनगर को यथाशीघ्र उपलब्ध कराई जाएगी।

(10) शासनादेश संख्या-52/2021/724/छप्पन-2021-31/2016 (Stage-2) दिनांक 27 मार्च, 2021 एवं शासनादेश संख्या-90/2022/1902/छप्पन-002-56-1099-8-2021 दिनांक 12 दिसम्बर, 2022 में इंगित शर्तें व प्रतिबन्ध यथावत् रहेंगे।

5- उक्त स्वीकृत धनराशि रू0 3,29,91,56,900.00 (रूपए तीन अरब उनतीस करोड़ इक्यान्नवे लाख छप्पन हजार नौ सौ मात्र) निदेशक, नागरिक उड्डयन द्वारा तत्काल आवंटित कर कलैक्टर, गौतमबुद्धनगर के निर्वतन पर रखी जायेगी। कलैक्टर, गौतमबुद्धनगर द्वारा सम्बन्धित को यथा आवश्यकतानुसार धनराशि उपलब्ध कराई जाएगी।

6- उक्त धनराशि वित्तीय वर्ष 2023-24 में अनुदान संख्या-38 के पूंजी लेखा लेखाशीर्ष ''5053-नागर विमानन पर पूंजीगत परिव्यय-02-विमानपत्तन-800-अन्य व्यय-21-जनपद गौतमबुद्धनगर के जेवर में अन्तर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट की स्थापना-60-भूमि क्रय'' से वहन की जाएगी।

7- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय पत्र संख्या: ई-7-242/दस-2023-24, दिनांक 20 अक्टूबर, 2023 में प्राप्त उनकी सहमति से निर्गत किया जा रहा है।

भवदीय,

आनन्द कौशिक
अनु सचिव

संख्या- 111/2023/1437(1)/छप्पन-2023, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- महालेखाकार-प्रथम (लेखा एवं हकदारी), प्रथम, उ0प्र0, प्रयागराज।

2- उप महालेखाकार/ई0एस0-।।।, आडिट भवन, टीसी-35-वी-1, विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ-10

3- मुख्य कार्यपालक अधिकारी, नॉएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण/ग्रेटर नॉएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण/यमुना एक्सप्रेस-वे औद्योगिक विकास प्राधिकरण, गौतमबुद्धनगर को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि वे सन्दर्भगत प्रकरण में वांछित धनराशि रू0 8,79,77,51,734.00 (रू0 आठ अरब उनासी करोड़ सतहत्तर लाख इक्यावन हजार सात सौ चौंतीस मात्र) में से NIAL में अपनी-अपनी अंशधारिता के अनुसार धनराशि कलैक्टर, गौतमबुद्धनगर के निवर्तन पर यथाशीघ्र उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

4/...

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

4- आयुक्त, मेरठ मण्डल, मेरठ।

5- जिलाधिकारी, गौतमबुद्धनगर।

6- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ/ कोषाधिकारी, गौतमबुद्धनगर।

7- निदेशक, भूमि अध्याप्ति, राजस्व परिषद, उ0प्र0, लखनऊ।

8- कलैक्टर/अपर जिलाधिकारी(भू0अ0), गौतमबुद्धनगर को उनके पत्रांक 9233/आठ-अ0जि0अ0 (भू0अ0)/नो0अ0ए0जे0/गौतमबुद्धनगर दिनांक 25 अगस्त, 2023 के सन्दर्भ में।

9- विशेष कार्याधिकारी (श्री शैलेन्द्र कुमार भाटिया), नॉएडा इन्टरनेशनल एयरपोर्ट लि0/नोडल अधिकारी, जेवर एयरपोर्ट, गौतमबुद्धनगर।

10- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-7/राजस्व अनुभाग-13.

11- समीक्षा अधिकारी (बजट)/गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
आनन्द कौशिक
अनु सचिव

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।